पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अर्चना कुमारी और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 14755

[साथ मे 2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9395; 2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16501; 2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17653; 2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 37; 2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 113]

01 मार्च, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या, बिना किसी उचित कारण बताए और बिहार सरकार के सेवक (सीसीए) नियम, 2005 के नियम 28 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर, एक साधारण दंड (वृद्धि की रोकथाम) को एक बड़े दंड (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) में बदलना, विधि की दृष्टि में वैध, उचित और टिकाऊ है?

हेडनोट्स

सेवा कानून - भर्ती - चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों में संशोधन - वैधता - चयन मानदंडों में बदलाव - अस्वीकार्य - उम्मीदवारों के अधिकार - विज्ञापन की तारीख महत्वपूर्ण है - सूचना दिनांक 19.09.2023 - मनमाना और अन्यायपूर्ण माना गया - नई श्रेणी के नियमों, 2023 की वैधता - भविष्यात्मक कार्यवाही - विचार क्षेत्र के विस्तार की अनुमति है - उद्धृत मामलों से भिन्नता - पूर्ववृत्तियों की अनुपलब्धता - राहत दी जाती है।

निर्णय: अदालत ने 19.09.2023 की अधिसूचना को खारिज कर दिया है, क्योंकि इसने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया था और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि वह विज्ञापन संख्या 07/2022 और कैडर नियम, 2018 के अनुसार सख्ती से मेरिट सूची तैयार करे, 2023 के नियमों या हाल ही में लागू की गई प्रतियोगी परीक्षा को लागू किए बिना। अधिसूचना की धारा-डी के तहत विस्तार को स्वीकार किया गया है, जो स्थापित कानून के अनुरूप है। उम्मीदवारों का अधिकार है कि उन्हें विज्ञापन के दिन किए गए नियमों के तहत विचार किया जाए, यह अधिकार बाद में लागू किए गए नियमों में बदलाव से नहीं छीन सकते जब तक कि स्पष्ट रूप से पूर्व प्रभावी नहीं किया गया हो।

न्याय दृष्टान्त

(2008) 7 एससीसी 11, एआईआर 1966 एससी 1942, (2021) 7 एससीसी 695, (2011) 10 एससीसी 121, (2006) 10 एससीसी 261

अधिनियमों की सूची

भारतीय संविधान; बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014; सामान्य धाराओं का अधिनियम, 1897; बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सहायक नर्स मिडवाइफ) कैडर नियम, 2023

मुख्य शब्दों की सूची

चयन एवं नियुक्ति; पात्रता मानदंड; बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता; ओबिटर डिक्टम

प्रकरण से उत्पन्न

विज्ञापन संख्या 07/2022 के संबंध में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना (जिसे आगे 'आयोग' कहा जाएगा) के प्रभारी सचिव द्वारा जारी दिनांक 19.09.2023 के नोटिस को रद्द करने के लिए

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 14755/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता; श्री पुष्कर भारद्वाज, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री पंकज कुमार (एससी-12); श्री कमलेश किशोर, एसी से एससी-12

बी.टी.एस.सी. के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9395/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री शिव कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री बिरजू प्रसाद (जी.पी.-13); श्री रवि कुमार, ए.सी. से जी.पी.-13; श्री अजीत आनंद, ए.सी. से जी.पी.-13

बी.टी.एस.सी. के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 16501/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता; श्री रघुबीर चंद्रायण, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री बिरजू प्रसाद (जी.पी.-13); श्री अक्षय लाल प्रसाद, ए.सी. से जी.पी.-13; श्रीमती श्वेता आनंद, ए.सी. से जी.पी.-13

बी.टी.एस.सी. के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17653/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री शंभू शरण सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री बिनोद कुमार यादव (एससी-18)

प्रतिवादी संख्या 4 के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के लिए : श्री अवधेश कुमार पंडित, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 37/2024 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए : सरकारी अधिवक्ता-12

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 113/2024 में)
याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री शंभू शरण सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री बिनोद कुमार यादव (एससी -18)
प्रतिवादी संख्या 4 के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के लिए : श्री अवधेश कुमार पंडित, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: रवि राज, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 14755

==========

1. अर्चना कुमारी पति श्री राम नरेश सिंह, निवासी सहवाजपुर, शाहबाजपुर सलेम, डाकघर-मुज़फ़्फ़रपुर, थाना-अहियापुर, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर, पिन-842004

2. पिंकी कुमारी, पिता श्री सुरेश चौधरी, निवासी आलमपुर, डाकघर-बाढ़, थाना-बाढ़, जिला-पटना, पिन कोड-803213

3. उषा कुमारी, पति श्री अरुण मेहता, निवासी मोहम्मदपुर, इमाम मेडिकल के समीप, महेंद्रू, थाना-सुल्तानगंज, डाकघर-महेंद्रू, जिला-पटना, पिन कोड-800006

4. वीणा कुमारी, पति श्री सुरजीत कुमार, निवासी सी/ओ सुरेश यादव, जीत लाल पथ, कोल्ड स्टोरेज के पीछे, करबिगहिया, डाकघर-जी.पी.ओ., जिला-पटना, पिन कोड-800001

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से।

2. निदेशक, स्वास्थ्य विभाग निदेशालय, बिहार, पटना।

3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।

4. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

5. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

साथ मे

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9395

==========

1. अनीता कुमारी पति श्री गणेश प्रसाद ठाकुर, निवासी ग्राम-आयमा, थाना-सरैया, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

2. संजुक्ता कुमारी, पति श्री राजीव रंजन, निवासी ग्राम-अरावन, थाना-बेन, जिला-नालंदा।

3. सीमा कुमारी, पिता श्री नरेश प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-उत्तरावां, थाना-कुर्था, जिला-अरवल की निवासी।

4. सरिता कुमारी, पति श्री चंद्रमणि प्रसाद, निवासी ग्राम-गनीपुर, थाना-हिलसा, जिला-नालंदा की निवासी।

5. प्रियंका कुमारी, पति श्री मंटू कुमार, निवासी ग्राम-हसनचक, थाना-चंडी,जिला-नालंदा

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4. मुख्य निदेशक (नर्सिंग) स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।

5. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अपने सचिव, 19, हार्डिंग रोड, पटना के माध्यम से।

6. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना।

7. उप सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना।

... ...प्रतिवादी/ओं

==========

साथ मे

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16501

==========

1. आरती कुमारी पिता ओम प्रकाश सिंह, निवासी जहानाबाद रोड शांति कॉम्प्लेक्स, एकंगरसराय, थाना- एकंगरसराय, जिला-नालंदा।

2. नितु कुमारी, पिता राज कुमार राम, निवासी अहिरौली, वार्ड नंबर 2, थाना- औद्योगिक क्षेत्र बक्सर, जिला-बक्सर।

3. आभा कुमारी, पिता सुबोध कुमार, निवासी ग्राम-धनहर, थाना-एकंगरसराय, जिला-नालंदा।

4. निक्की कुमारी, पिता जय प्रकाश राम, निवासी ग्राम-रहथुआ, थाना. ब्रह्मपुर, जिला-बक्सर।

5. कुमारी अनिता सिंह, पति राकेश कुमार, निवासी ग्राम-दरौली, थाना. रामगढ, जिला-कैमूर।

6. किरण कुमारी, पति पंकज कुमार, निवासी ग्राम-गिरिधरपुर, थाना-इटाढ़ी सिकरौल, जिला-बक्सर।

7. संगीता कुमारी, पति संतोष चौधरी, गांव निवासी-पनियारी, पी.एस.- नावानगर सिकरौल, जिला-बक्सर।

8. अमरावती कुमारी, पति फुलेंद्र चौधरी, गांव निवासी-धनकुटिया, थाना-दिनारा, जिला-रोहतास।

9. गुड्डी कुमारी, पति संजय कुमार, निवासी ग्राम-पनियारी, थाना. नावानगर सिकरौल, जिला-बक्सर।

10. मुनी कुमारी, पति सुनील कुमार राम, निवासी ग्राम-रहथुआ, थाना- ब्रह्मपुर, जिला-बक्सर।

11. प्रीति कुमारी, पति राजीव कुमार, निवासी ग्राम/मोहल्ला - हरनाहा टोला पटना सिटी, थाना- पटना सदर, जिला - पटना।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से।

2. अपर मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।

3. उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।

4. निदेशक-इन-चीफ, स्वास्थ्य सेवाएं (नर्सिंग), स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना।

5. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना अपने सचिव के माध्यम से।

6. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना।

7. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

साथ मे

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17653

==========

1. सरिता कुमारी पति मुकेश कुमार ठाकुर, निवासी ग्राम केरमा रोड, महंत मनियारी, थाना- सिलोट, बैजनाथ, जिला- मुजफ्फरपुर।

2. निभा कुमारी, पति मनोज सिंह, निवासी ग्राम वार्ड नंबर 25, बिचला टोला, मधुरापुर, थाना- तेघरा, जिला-बेगूसराय।

3. प्रियंका कुमारी, पति लक्ष्मण शाह, निवासी ग्राम-हितमपुर, थाना-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर, आरा।

4. रेखा कुमारी, पति पप्पू कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर मनी भकुराहर, थाना-सराय, जिला-वैशाली।

5. मुनचुन रानी उर्फ मुनचुन कुमारी, पति सतीश कुमार, निवासी ग्राम कांटी कसबा, थाना- कांटी, जिला-मुजफ्फरपुर।

6. सीमा कुमारी, पति विकास कुमार ठाकुर, ब्रह्मस्थान, सहबागपुर उर्फ सलेमपुर, थाना- सलेमपुर, जिला- मुजफ्फरपुर।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

2. प्रधान सचिव, सामान्य और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना।

5. सचिव, बिहार नर्सिंग पंजीकरण परामर्शदाता, पटना।

6. प्रभारी सचिव, बिहार नर्सिंग पंजीकरण परामर्शदाता, पटना।

7. जिला मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष, संबंधित जिला- मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भोजपुर, आरा और वैशाली के जिला स्वास्थ्य समिति।

8. सिविल सर्जन-सह-सचिव, संबंधित जिला-मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, भोजपुर, आरा एवं वैशाली के जिला स्वास्थ्य समिति।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

साथ मे

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 37

==========

1. रीता कुमारी पति सुरेन्द्र कुमार सिंह, निवासी मझौली रोड, डाकघर एवं थाना- मैरवा, जिला- सीवान।

2. मिंता कुमारी, पति ब्रजेश ठाकुर, निवासी ग्राम- धोबावत, डाकघर- धानो, थाना- बनियापुर, जिला- सारण।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. निदेशक, स्वास्थ्य विभाग निदेशालय, बिहार, पटना।
3. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना।
4. उप सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
5. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
6. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. प्रभारी सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

साथ मे

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 113

==========

1. सपना कुमारी पिता विद्यानंद तिवारी निवासी ग्राम-अम्हारा, थाना. बिहटा, जिला-पटना।
2. कुमारी ममता पति संजय कुमार निवासी ग्राम व डाकघर- गेरुआपुर साण्डा, थाना- हलासी, जिला लखीसराय।
3. नीलम कुमारी पति शशि मुन्ना कुमार निवासी ग्राम बदलपुर, डाकघर-नालंदा, थाना- तेल्हारा, जिला नालन्दा।
4. ममता कुमारी पति रणवीर प्रसाद सिंह निवासी ग्राम सोहिजन, डाकघर- बेरिया, थाना- हथौड़ी, जिला मुजफ्फरपुर.
5. सुधा कुमारी पति अखिलेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम नौबतपुर, डाकघर-जमालपुरा, थाना कोरावां, जिला-पटना।

6. माया कुमारी पति रामाधार शर्मा बराह, निवासी ग्राम-बराह, थाना- बराह, जिला पटना.

7. ममता कुमारी पति राजीब कुमार निवासी ग्राम-गोखुला रूपौली, थाना-रूपौली, जिला-मुजफ्फरपुर।

8. सबिता कुमारी पति सुधीर पांडे, निवासी ग्राम व डाकघर- मघौल सुस्ता, थाना कुरहानी, जिला मुजफ्फरपुर।

9. बिन्दु कुमारी पति मृत्युंजय कुमार निवासी ग्राम बहरामपुर, दुबहा बुजुर्ग, थाना सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर।

10. बेबी कुमारी पति स्वर्गीय गौतम कुमार निवासी ग्राम व डाकघर- खांडपर, भिठ्ठापर थाना शेखपुरा, जिला शेखपुरा।

11. रूबी कुमारी पति सिंगार शुक्ला निवासी ग्राम पारुमथिया डाकघर- पारू, थाना-पारू, जिला मुजफ्फरपुर।

12. पूनम कुमारी पति सुरेंद्र शर्मा निवासी ग्राम-सहनाजपुर, थाना-भीखापुर (मुशहरी), जिला-मुजफ्फरपुर।

13. नमिता कुमारी पति चंदन कुमार चौधरी निवासी ग्राम कांटी तियारी टोला, थाना-कांटी, जिला मुजफ्फरपुर.

14. बबीता कुमारी पति अरविन्द कुमार निवासी ग्राम मदापुर चौबे, निकट शिवमंदिर खरींडीह, थाना मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर।

15. प्रीति पति कुमार पंकज निवासी ग्राम नरहरपुर चमारी, थाना नाहरपुर, जिला सारण, छपरा।

16. रमा कुमारी पति राजेश कुमार चौबे निवासी ग्राम हमीदनगर, डाकघर- बधोइपी, थाना उपहारा, जिला औरंगाबाद।

17. मंजू कुमारी पति प्रदीप राम निवासी ग्राम गीधा, थाना गड़हनी, जिला भोजपुर।

18. रागनी कुमारी पति राकेश कुमार पांडे निवासी ग्राम ब्रह्मरूप, थाना- भगवानपुर, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

19. प्रितंजली कुमारी पति संधीर कुमार सिंह निवासी गाँव माधोपुर राम, थाना-वैशाली, जिला-वैशाली।

20. रिंकू कुमारी पति विमलेश कुमार निवासी गाँव और डाक कोल्हुआ, थाना-सरैया, जिला मुज़फ़्फ़रपुर।

21. अंजू कुमारी पति प्रकाश कुमार निवासी गाँव और डाक बसंत खरोना, थाना-कुराहनी, जिला मुज़फ़्फ़रपुर।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

2. प्रधान सचिव सामान्य और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना

4. सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना।

5. सचिव बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, पटना।

6. प्रभारी सचिव बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, पटना।

7. जिला दंडाधिकारी-सह-अध्यक्ष संबंधित स्वास्थ्य समिति जिला- पटना, लखीसराय, नालंदा, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, छपरा, औरंगाबाद, भोजपुर (आरा), वैशाली (हाजीपुर)।

8. सिविल सर्जन-सह-सचिव, संबंधित स्वास्थ्य समिति जिला- पटना, लखीसराय, नालंदा, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, छपरा, औरंगाबाद, भोजपुर (आरा), वैशाली (हाजीपुर)।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 14755/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता
श्री पुष्कर भारद्वाज, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री पंकज कुमार (एससी-12)
श्री कमलेश किशोर, एसी से एससी-12

बी.टी.एस.सी. के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9395/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री शिव कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री बिरजू प्रसाद (जी.पी.-13)
श्री रवि कुमार, ए.सी. से जी.पी.-13
श्री अजीत आनंद, ए.सी. से जी.पी.-13

बी.टी.एस.सी. के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 16501/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता

		श्री रघुबीर चंद्रायण, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए	:	श्री बिरजू प्रसाद (जी.पी.-13)
		श्री अक्षय लाल प्रसाद, ए.सी. से जी.पी.-13
		श्रीमती श्वेता आनंद, ए.सी. से जी.पी.-13
बी.टी.एस.सी. के लिए	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17653/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री शंभू शरण सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री बिनोद कुमार यादव (एससी-18)
प्रतिवादी संख्या 4 के लिए	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के लिएः		श्री अवधेश कुमार पंडित, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 37/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए	:	सरकारी अधिवक्ता-12

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 113/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री शंभू शरण सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री बिनोद कुमार यादव (एससी -18)
प्रतिवादी संख्या 4 के लिए	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के लिए:		श्री अवधेश कुमार पंडित, अधिवक्ता

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

सी. ए. वी. निर्णय

तिथि: 01-03-2024

रिट याचिकाओं के उपरोक्त समूह में विवाद की समानता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें समान रूप से सुनवाई करना उचित समझा गया, और

तदनुसार, उन्हें पक्षों की सहमति से एक साथ सुना गया था और वर्तमान एकल आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. उपरोक्त रिट याचिकाएं बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना (जिसे आगे 'आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है), के प्रभारी सचिव द्वारा विज्ञापन सं.07/2022 के संबंध में निर्गत दिनांक 19.09.2023 के नोटिस को निरस्त करने के लिए दायर की गई हैं, जिसके तहत सहायक परिचारिका धात्री (जिसे आगे 'ए.एन.एम.' के रूप में संदर्भित किया गया है) के पद पर नियुक्ति करने के उद्देश्यों के लिए चयन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-अधिकारियों को विज्ञापन संख्या 07/2022 के माध्यम से शुरू की गई चयन प्रक्रिया को उसमें निहित प्रावधानों के संदर्भ में, चयन की प्रक्रिया और उम्मीदवारों द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य आवश्यकताओं के साथ-साथ बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सहायक परिचारिका धात्री) संवर्ग नियम, 2018 (इसके बाद संवर्ग नियम, 2018 के रूप में संदर्भित) के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में भी समाप्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। अंत में, रिट याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि वे प्रतिवादियों को दिनांक 19.09.2023 के उपरोक्त नोटिस को आगे बढ़ाने में कार्रवाई करने से बचने का निर्देश दें और चयन की प्रक्रिया में संशोधन की मांग करते हुए दिनांक 19.09.2023 के उपरोक्त नोटिस को निर्गत करने में प्रतिवादी-आयोग की कार्रवाई को कानून की दृष्टि में अस्वीकार्य घोषित किया गया है।

3. निर्विवाद तथ्य एक संकीर्ण आवरण में निहित हैं। प्रतिवादी-आयोग ने दिनांक 28.07.2022 को एक विज्ञापन निर्गत किया था, जिसमें ए.एन.एम. के पद पर नियुक्ति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए योग्य

उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके बाद रिट याचिकाकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ संवर्ग नियम, 2018 के संदर्भ में ए.एन.एम. के पद पर नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन जमा किए थे। स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार सहायक परिचारिका की नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त संवर्ग नियम, 2018 बनाए गए थे। संवर्ग नियम, 2018 के नियम-5,6 और 7 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा:-

> *"5. **भर्ती** इस संवर्ग में नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर मूल श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।*
>
> *6. **योग्यताएँ***
>
> *(1) शैक्षणिक योग्यता में बुनियादी श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधि के सहायक परिचारिका धात्री-विद्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए और उससे संबंधित एक प्रमाण पत्र आवश्यक होगा बिहार परिचारिका पंजीकरण परिषद के उम्मीदवारों का पंजीकरण भी आवश्यक होगा।*
>
> *(2) प्रत्यक्ष भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण श्रेणी के*

समान होगी। संबंधित वर्ष की 1 अगस्त को आयु निर्धारण के लिए कटऑफ तिथि मानी जाएगी।

7. भर्ती की प्रक्रियाः

(1) नियुक्ति प्राधिकरण, वर्ष के 1 अप्रैल को पदों के आधार पर रिक्ति की गणना करने और रोस्टर को मंजूरी मिलने के बाद, विभाग को आरक्षण श्रेणीवार मांग भेजेगा।विभाग सभी जिलों की रिक्तियों का संकलन कर 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेजेगा।

(2) माँग को ध्यान में रखते हुए आयोग रिक्तियों का विज्ञापन करके आवेदन आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगाः

(क) ए.एन.एम. पाठ्यक्रम परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए 60 अंक

(ख) उच्चतर पाठ्यक्रम के लिए (यदि कोई हो) 15 अंक

(ग) बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य अनुभव के लिए (प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) 25 अंक

कुल 100 अंक

स्पष्टीकरणः *ए.एन.एम. पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार को दिए जाने वाले अंकों का निर्धारण उपरोक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जाएगा उदाहरण के लिए, यदि किसी उम्मीदवार ने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 50 X 0.6=30 अंक दिए जाएंगे।*

(3) आयोग उपरोक्त उप-नियम (2) के आधार पर तैयार की गई योग्यता सूची और अपेक्षित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण श्रेणीवार सिफारिशें विभाग को भेजेगा।विभाग अनुशंसित उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों की जांच के बाद संवर्ग का आवंटन करेगा। इसके बाद, संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण स्वास्थ्य जांच, पूर्ववृत्तियों का सत्यापन आदि करने और सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद नियुक्तियां करेगा।

4. 10709 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (सहायक परिचारिका धात्री) की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त अनुरोध के अनुसार प्रतिवादी-आयोग द्वारा उपरोक्त विज्ञापन संख्या 07/2022 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन का खंड 2 उम्मीदवारों के उतीर्ण होने के लिए आवश्यक योग्यताओं को निर्धारित करता है और इसका खंड 4 चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रावधानों को निर्धारित करता है, जिनका उपरोक्त पदों पर नियुक्ति करने के उद्देश्यों के लिए पालन किया जाना आवश्यक है, जो आगे निर्धारित करता है कि योग्यता सूची कुल 100 अंकों पर एक उम्मीदवार के मूल्यांकन के आधार पर तैयार की जानी है, जिसमें से 60 अंक ए.एन.एम. पाठ्यक्रम परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए उच्च पाठ्यक्रम (यदि कोई हो) के लिए 15 अंक और बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए 25 अंक दिए जाने हैं।

5. प्रतिवादी-आयोग ने तब याचिकाकर्ताओं सहित उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्रों की जांच की थी, जिसके बाद संवर्ग नियम, 2018 के नियम 7 और उपरोक्त विज्ञापन दिनांक 28.07.2022 के खंड-4 के संदर्भ में

अंकित किए गए हैं, जिसे तब प्रतिवादी-आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इस बीच, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना ने स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (सहायक परिचारिका धात्री) संवर्ग की नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए ज्ञापन संख्या 904 (6) में निहित अधिसूचना के माध्यम से बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सहायक परिचारिका धात्री) संवर्ग नियम, 2023 (यहां संवर्ग नियम, 2023 के रूप में संदर्भित) निर्गत किया था। उक्त संवर्ग नियम, 2023 का नियम 8 भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधानों को और ए.एन.एम. के पद पर नियुक्ति करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने के तरीके को निर्धारित करता है। यह आगे निर्धारित करता है कि कुल 100 अंकों पर एक उम्मीदवार के मूल्यांकन के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जानी है, जिसमें से 60 अंक उम्मीदवारों को उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर दिए जाने हैं प्रतियोगी परीक्षा, उच्च पाठ्यक्रम के लिए 15 अंक और बिहार राज्य के सरकारी/गैर-निजी अस्पतालों में काम करने के अनुभव के लिए 25 अंक, उक्त नियमों के तहत निर्धारित तरीके से। इसलिए, उक्त संवर्ग नियम, 2023 के संदर्भ में, अब, प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता सूची तैयार करने की आवश्यकता है। उपरोक्त संवर्ग नियम, 2023 के नियम 21 में बचत और निरसन खंड शामिल है, जिसके अनुसार उक्त संवर्ग नियम, 2023 ने संवर्ग नियम, 2018 को निरस्त कर दिया है, फिर भी, यह प्रावधान किया गया है कि संवर्ग नियम, 2018 को निरस्त करने के बाद भी, संवर्ग नियम, 2018 के तहत की गई किसी भी कार्रवाई को उक्त संवर्ग नियम, 2023 के तहत लिया गया माना जाएगा। उक्त संवर्ग नियम, 2023 को

01.06.2023 से प्रभावी बना दिया गया है। इस समय संवर्ग नियम, 2023 के नियम 8 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा:-

"भर्ती की प्रक्रिया:- (1) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा वर्ष की 1 वीं अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर और रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा:-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के लिए - 60 अंक

(ख) उच्चतर कोर्स के लिए (जी० एन० एम०-10, बी०एस०सी० (नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग, एम० एस० सी० (नर्सिंग)-15 - 15 अंक

(ग) बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) अस्पतालों में कार्य का अनुभव प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 गुना करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा।) - 25 अंक

कुल-100 अंक

स्पष्टीकरण: परीक्षा में प्राप्त प्राप्तक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करना होगा।यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 x 0.6 =30 अंक दिए जायेंगे।

(3) आयोग उपर्युक्त अधिनियम (2) के के आधार पर तैयार मेधासूची एवं अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। विभाग अनुशासित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच के पश्चात् सम्बंधित नियुक्ति प्राधिकार स्वस्थ्य जाँच,पूर्ववृत्त सत्यापन आदि कृते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्त करेगा"।

6. उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना ने तब 2022 के विज्ञापन संख्या 07 के संबंध में ए.एन.एम के पद पर नियुक्ति करने के उद्देश्यों के लिए संवर्ग नियम, 2023 के खंड-8 (2) के के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने और उसके बाद सिफारिशें भेजने के संबंध में प्रतिवादी-आयोग के उप सचिव को दिनांक 12.06.2023 को एक पत्र लिखा था। दिनांक 12.06.2023 के उक्त पत्र के अनुसरण में, प्रतिवादी-आयोग के प्रभारी सचिव ने 2022 के विज्ञापन संख्या 07 के संबंध में दिनांक 19.09.2023 का एक नोटिस निर्गत किया था, जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सलाह को ध्यान में रखते हुए दिनांक 12.6.2023 और 02.8.2023 के पत्रों के माध्यम से, विज्ञापन संख्या 07/2022 के अनुसार ए.एन.एम. के पदों पर नियुक्ति अब संवर्ग नियमावली,2018 के बजाय बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सहायक परिचारिका धात्री) संवर्ग नियम, 2023 के आधार पर की जाएगी। और तदनुसार उपरोक्त विज्ञापन संख्या 07/2022 के खंड-4 को प्रतिस्थापित किया गया है। नतीजतन, उपरोक्त विज्ञापन संख्या 07/2022 में निहित भर्ती प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को उपरोक्त संवर्ग नियम, 2023 के नियम 8 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया में अब दो चरण शामिल हैं, पहला चरण संगणक आधारित परीक्षा आयोजित करने का है जिसमें

बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल हैं और दूसरा चरण आयोग द्वारा उपरोक्त परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और उक्त संवर्ग नियम, 2023 के नियम 8 के तहत उल्लिखित अन्य मानदंडों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करने से संबंधित है। उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 19.09.2023 का खंड डी निर्धारित करता है कि उम्मीदवारों को 22.09.2023 से 06.10.2023 के बीच आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने का अग्रिम अवसर दिया जाएगा।

7. यह रिकॉर्ड में है कि प्रतिवादी-आयोग ने, इसके बाद, एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें सीडब्ल्यूजेसी सं.37/2024 के याचिकाकर्ता सं. 1 को छोड़कर उपरोक्त रिट याचिकाओं के सभी याचिकाकर्ताओं ने भाग लिया था।

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से रिट याचिकाओं के उपरोक्त बैच में मुख्य तर्क श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, जो उपरोक्त रिट याचिकाओं में से एक, अर्थात सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 14755/2023 वाली याचिका में प्रस्तुत हुए हैं।

9. रिट याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री अभिनव श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया है कि चयन प्रक्रिया, जैसा कि उपरोक्त है, 2022 का विज्ञापन संख्या 07 निर्गत करके शुरू की गई थी, जिस दिन संवर्ग नियम, 2018 लागू थे, संवर्ग नियम, 2018 के नियम 7 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, जिसके अनुसार, याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों ने अपने आवेदन पत्र दाखिल किए थे, जिसके बाद प्रतिवादी-आयोग ने योग्यता सूची तैयार की थी और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत अंकों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया था। फिर भी, बाद में संवर्ग नियम, 2023 के लागू होने के कारण, स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार

सरकार, पटना ने दिनांक 12.06.2023 को उपरोक्त पत्र निर्गत किया था। विज्ञापन संख्या 07/2022 के संबंध में दिनांक 12.06.2023 का उपरोक्त पत्र, जिसमें प्रत्यर्थी-आयोग को ए.एन.एम के चयन के उद्देश्यों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वास्थ्य निदेशालय की उक्त कार्रवाई कानून की नजर में स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है क्योंकि एक बार चयन की प्रक्रिया, विज्ञापन संख्या 07/2022 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, प्रतिवादी-आयोग द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई थी, स्वास्थ्य निदेशालय के तहत प्रतिवादी अधिकारियों को चयन की उक्त प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2022 के उपरोक्त विज्ञापन संख्या 07 के संबंध में प्रतिवादी-आयोग द्वारा जारी किया गया उपरोक्त नोटिस 19.09.2023, ए.एन.एम के पद पर नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया को बदल रहा है, और 28.07.2022 पर जारी किए गए उक्त विज्ञापन संख्या 07/2022 में निर्धारित चयन की पिछली प्रक्रिया को कैडर नियम, 2023 के नियम 8 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित कर रहा है, यह जाँच मनमाना, अनुचित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 21 का उल्लंघन है। यह तर्क दिया जाता है कि कैडर नियम, 2018 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में प्रतिवादी-आयोग द्वारा 28.07.2022 पर विज्ञापन संख्या 07/2022 निर्गत करने के बाद, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा आवेदन दाखिल किए जाते हैं और प्रतिवादी-आयोग द्वारा उनकी जांच की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप योग्यता सूची तैयार की जाती है और उम्मीदवारों के व्यक्तिगत अंकों का प्रकाशन होता है, उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 19.09.2023 को निर्गत करने में संबंधित अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जाती है, जिसके द्वारा योग्यता सूची तैयार

करने के उद्देश्यों के लिए चयन प्रक्रिया और मानदंडों के संबंध में प्रावधानों को अपनाया जाता है, खेल के नियमों को बीच में ही बदलने के बराबर है, जो कानून की नजर में पूरी तरह से असमर्थनीय है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 21 की घोर अवहेलना और उल्लंघन के समान है।

10. याचिकाकर्ताओ की ओर से उपस्थित श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता, द्वारायह तर्क दिया गया है, कि यह एक सुस्थापित विधि है कि चयन की प्रक्रिया को विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख को लागू प्रासंगिक नियमों के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार और संबंधित विज्ञापन में निहित शर्तों के संदर्भ में सख्ती से पूरा किया जाना है, जैसे कि चयन की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आदि को बाद में चयन की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान पेश किए गए नए नियमों के आधार पर बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसलिए, संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से दिनांक 19.09.2023 का उपरोक्त नोटिस निर्गत करने में कार्रवाई कानून की नज़र में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

11. अंत में, याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता श्री अभिनव श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 19.09.2023 के उपरोक्त नोटिस द्वारा यह संकेत दिया गया है कि उम्मीदवारों को दिनांक 22.09.20 23 से 06.10.2023 के बीच आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने का अवसर दिया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त विज्ञापन संख्या 07/2022 को आगे बढ़ाते हुए, उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पहले हीं 01.09.2022 द्वारा जमा किए जा चुके हैं, जो इस तरह के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि थी, इस प्रकार प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से नए सिरे से आवेदन पत्र जमा करने के लिए पोर्टल खोलने की ऐसी कार्रवाई न केवल मनमाना और अनुचित है,

बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की घोर अवहेलना और उल्लंघन भी है।

12. अधिवक्ता श्री अभिनव श्रीवास्तव ने वर्तमान रिट याचिकाओं में विचाराधीन मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है। सबसे पहले, उन्होंने ***एन.टी. डेविन कट्टी एवं अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य, (1990) 3 एस. सी. सी.157*** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है जिसका कंडिका सं.11 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"11. इस प्रश्न का एक और पहलू है। जहां पदों की किसी श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन निर्गत किया जाता है, और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चयन मौजूदा नियमों या सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा, और यदि यह आगे विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण की सीमा को इंगित करता है, तो ऐसे मामले में उम्मीदवारों का चयन तत्कालीन मौजूदा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। जो उम्मीदवार आवेदन करते हैं, और लिखित या मौखिक परीक्षा से गुजरते हैं, वे विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने के लिए निहित अधिकार प्राप्त करते हैं, जब तक कि विज्ञापन स्वयं एक विपरीत इरादे का संकेत नहीं देता है। आम तौर पर, एक उम्मीदवार को विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार विचार किए जाने का अधिकार है क्योंकि विज्ञापन*

के प्रकाशन की तारीख पर उसका अधिकार स्पष्ट हो जाता है, हालांकि इस मामले में उसका कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।यदि चयन के लंबित रहने के दौरान भर्ती नियमों में पूर्वव्यापी संशोधन किया जाता है, तो उस स्थिति में चयन संशोधित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। नियमों का पूर्वव्यापी प्रभाव है या नहीं, यह मुख्य रूप से नियमों की भाषा और विधायी आशय को सुनिश्चित करने के लिए उसके निर्माण पर निर्भर करता है। विधायी आशय का निर्धारण या तो स्पष्ट प्रावधान द्वारा या आवश्यक निहितार्थ द्वारा किया जाता है; यदि संशोधित नियम प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं हैं तो चयन को उन नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए जो विज्ञापन की तारीख को लागू थे। इस प्रश्न का निर्धारण काफी हद तक विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रासंगिक नियमों और आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। ऐसा न हो कि कोई भ्रम हो, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक विज्ञापन के अनुसरण में किसी पद के लिए आवेदन करने पर एक उम्मीदवार चयन का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है, लेकिन यदि वह पात्र है और अन्यथा प्रासंगिक नियमों और विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुसार योग्य है, तो वह चयन के लिए विचार किए जाने का एक निहित अधिकार प्राप्त करता है जो नियमों के अनुसार है क्योंकि वे विज्ञापन की तारीख पर मौजूद थे। उन्हें चयन के

लंबित रहने के दौरान नियमों के संशोधन पर उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि संशोधित नियम पूर्वव्यापी प्रकृति के न हों।

13. श्री श्रीवास्तव द्वारा निर्दिष्ट अगला निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ***पी. महेन्द्रन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (1990) 1 एस. सी. सी. 411*** में प्रतिवेदित मामले में दिया गया निर्णय है,जिसका कंडिका सं. 4 और 5 को नीचे पुनःउद्धृत किया गया हैः

"4. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि भर्ती नियमों के साथ-साथ लोक सेवा आयोग द्वारा 6 अक्टूबर, 1983 को निर्गत विज्ञापन के तहत, यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा धारक मोटरगाड़ी अभियांत्रिकी में डिप्लोमा धारकों के साथ मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र थे। उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने पर आयोग ने चयन प्रक्रिया शुरू की क्योंकि उसने आवेदनों की जांच की और संबंधित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए पत्र निर्गत किए। वास्तव में आयोग ने अगस्त 1984 में साक्षात्कार शुरू किए और उसने चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवारों के कहने पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेशों के कारण चयन पूरा नहीं हो सका। आयोग ने सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पूरे किए और 2 जून, 1987 तक चयनित उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया और परिणाम 23 जुलाई, 1987 को राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को आयोग द्वारा अलग-अलग पत्रों द्वारा सूचित किया गया था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या 14 मई, 1987 को नियमों में किए गए संशोधन ने चयन को अवैध बना दिया। बेशक संशोधित

नियमों में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित नियमों को लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधनकारी नियमों में निहित किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में इसे संभावित प्रकृति का माना जाना चाहिए। संभावित प्रकृति के नियम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों के अधिकार को छीन या बाधित नहीं कर सकते हैं क्योंकि नियुक्ति की तारीख के साथ-साथ आयोग द्वारा जांच की तारीख पर वे चयन और नियुक्ति के लिए योग्य थे। वास्तव में सामान्य पाठ्यक्रम में पूरे चयन को नियमों के संशोधन से बहुत पहले अंतिम रूप दिया गया होगा, लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के लिए। यदि कोई अंतरिम आदेश नहीं होता, तो चयनित उम्मीदवारों को नियमों के संशोधन से बहुत पहले नियुक्त किया जाता। चूँकि चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका था, इसलिए अपीलार्थियों के चयन और नियुक्ति के अधिकार को नियमों के बाद के संशोधन से पराजित नहीं किया जा सका।

5. यह निर्माण का सुस्थापित नियम है कि प्रत्येक क़ानून या वैधानिक नियम संभावित है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी प्रभाव के लिए आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं किया जाता है। जब तक कि क़ानून या नियमों में ऐसे शब्द नहीं हैं जो मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने के इरादे को दर्शाते हैं, तब तक नियम को संभावित माना जाना चाहिए। यदि कोई नियम ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाता है जो किसी भी व्याख्या में काफी सक्षम है तो इसे केवल संभावित के रूप में माना जाना चाहिए। किसी भी स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक इरादे के अभाव में नियम को प्रक्रिया के मामले को छोड़कर पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। 1987 के संशोधित नियमों में संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव देने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और ना हीं इसमें ऐसा कुछ

है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम को लागू करने के लिए आवश्यक इरादे को दर्शाता है। चूंकि संशोधित नियम पूर्वव्यापी नहीं थे, इसलिए यह उन उम्मीदवारों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता था, जो पद के लिए आवेदन करने की तारीख को चयन और नियुक्ति के लिए योग्य थे, इसके अलावा जब संशोधन नियम लागू होने पर चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, तो संशोधित नियम उन उम्मीदवारों के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते थे, जिनके चयन के लिए विचार किया जा रहा था क्योंकि उनके पास इसके संशोधन से पहले नियमों द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताएं थीं, इसके अलावा उन लोगों को अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए संशोधन नियमों का निर्माण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, जिनका विषय वस्तु पर कोई नियंत्रण नहीं है।

14. श्री श्रीवास्तव द्वारा संदर्भित एक और निर्णय है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***वाई. वी. रंगैया एवं अन्य बनाम जे. श्रीनिवास राव एवं अन्य, (1983) 3 एससीसी 284*** में प्रतिवेदित मामले में निर्णय दिया गया है,जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उप-पंजीयक ग्रेड ॥ के पद पर पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरना, जो संशोधित नियमों से पहले हुआ था, पुराने नियमों द्वारा शासित होगा न कि नए नियमों द्वारा।

15. एक अन्य निर्णय, जिसका उल्लेख श्री श्रीवास्तव ने किया है यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ***के. मंजूश्री बनाम आँध्रप्रदेश राज्य एवं अन्य, (2008)3 एस सी सी 512*** में प्रतिवेदित मामले में दिया गया है, जिसका कंडिका सं.27 जिसकी प्रासंगिकता है, इसलिए इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

"27. लेकिन जो नहीं किया जा सकता था वह था दूसरा बदलाव, साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों के मानदंड की शुरुआत। जिला और सत्र न्यायाधीशों (ग्रेड ।।) के चयन के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों को पहले कभी नहीं अपनाया गया था।वर्तमान चयन के संबंध में, प्रशासनिक समिति ने केवल प्रचलित पिछली प्रक्रिया को अपनाया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पिछली प्रक्रिया न्यूनतम अंकों को केवल लिखित परीक्षा के लिए लागू करना था, न कि मौखिक परीक्षा के लिए।हमने पहले के दिनांकित 24-7-2001 और 21-2-2002 के प्रस्तावों की उचित व्याख्या का उल्लेख किया है और यह माना है कि 30-11-2004 पर जो अपनाया गया था वह केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक था न कि साक्षात्कार के लिए। इसलिए, पूरी चयन प्रक्रिया (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित) पूरी होने के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता की शुरुआत, खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर होगी जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। हम इस न्यायालय के कई निर्णयों से इस दृष्टिकोण से पुष्ट होते हैं। उनमे से 3 का हवाला देना पर्याप्त है- रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ, (1984) 2 एस. सी. सी. 141, उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ, (1985) 3 एस. सी. सी. 721 और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य, (1987) 4 एस. सी. सी. 646".

16. अंत में, श्री श्रीवास्तव ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***मोहम्मद रैसुल इस्लाम एवं अन्य बनाम गोकुल मोहन हजारिका एवं अन्य, (2010) 7 एस. सी. सी. 560,*** में प्रतिवेदित मामले में दिए गए एक निर्णय का उल्लेख किया है,जिसका कंडिका सं. 38 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

"38. हम श्री हंसारिया से सहमत होने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय ने अपरिवर्तित नियमों पर भरोसा करने में त्रुटि की थी क्योंकि कानून अच्छी तरह से तय हो गया है कि उस समय मौजूद नियमों के आधार पर शुरू की गई चयन प्रक्रिया उक्त नियमों के तहत जारी रहेगी, भले ही इस बीच नियमों में संशोधन किया गया हो। तदनुसार, सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता, निस्संदेह, नियम 19 के तहत शासित होगी, लेकिन नियम 19 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए चयन प्रक्रिया को नियम 4 के तहत पूरा करना होगा। जिन रिक्तियों के लिए विज्ञापन 1984 में प्रकाशित किया गया था, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा असंशोधित नियम 4 के आधार पर भरने का निर्देश दिया गया था, जिसमें पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच कोटा का प्रावधान किया गया था और तदनुसार, वर्ष 1986 के लिए उक्त कोटा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए 129 पदोन्नतियों की सूची में से 45 प्रत्यक्ष भर्तियों को पहले 45 पदोन्नतियों से तुरंत नीचे रखा गया था।

17. हालाँकि अन्य रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले अन्य वकीलों ने श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर 2023 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 17653 और 2024 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 113 में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता श्री शंभू शरण सिंह द्वारा निर्दिष्ट निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, अर्थात ***सुरेशकुमार ललितकुमार पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 167***; में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था जिसका कंडिका सं. 19, 22, 24, 25 और 27 से 29 जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"19. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया ने कहा कि चयन समिति के पास कट-ऑफ अंक कम करने का अधिकार नहीं है।प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को खेल शुरू होने के बाद उसके नियमों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि अधिकार का प्रयोग किया जाता है, यदि कोई हो, मनमाना है। किसी भी मामले में, गुजरात राज्य चयन समिति की शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, और बदले में उसे इसका पालन नहीं करना चाहिए था। खंड पीठ ने मामले के तथ्यों पर कानून को गलत तरीके से लागू करने में त्रुटि की है। अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रत्यावर्तन के आदेश की मांग करते हुए निम्नलिखित निर्णयों को लागू करने पर जोर दिया है।

• तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय, (2013) 4 एससीसी 540;

• वीरेंद्र कुमार गौतम बनाम करुणा निधि उपाध्याय, (2016) 14 एस. सी. सी. 18;

• अनुपल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 2 एस. सी. सी. 173;

• अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, (2008) 6 एससीसी 1.

22. हम उस भर्ती प्रक्रिया से निपट रहे हैं जिसके द्वारा प्रत्येक अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित पदों को केवल एक माध्यम से भरा जाना है, अर्थात लिखित परीक्षा। कट-ऑफ अंक एक स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ तय किए गए हैं कि यदि उम्मीदवार ने कम अंक प्राप्त किए हैं तो किसी को भी विचार करने की सुविधा प्रदान करके इसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आवेदन करने के लिए योग्यता और चयन की प्रक्रिया में निर्धारित की जाने वाली पात्रता के बीच अंतर है। हम वर्तमान मामले में आवेदन करने की योग्यता से संबंधित

नहीं हैं, बल्कि परीक्षा आयोजित होने के बाद योग्यता से संबंधित हैं।

24. यह सच है कि किसी उम्मीदवार के पास पद का निहित अधिकार नहीं हो सकता है, हालांकि, इसे विधि के अनुसार विचार किये जाने के अधिकार के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। एक कानून जो एक उम्मीदवार को एक पद प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, उसे व्यक्तियों के दूसरे समूह की सुविधा के लिए बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि उम्मीदवार कानून के अनुसार विचार किए जाने का एक निहित अधिकार प्राप्त करता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एन. टी. देवीन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग, (1990) 3 एस. सी. सी. 157", कंडिका 11 में अभिनिर्धारित किया गया है।.....″

25. बेशक, इस मामले में, अपीलकर्ता निर्गत विज्ञापन के अनुसार संबंधित पद प्राप्त करने के हकदार हैं। उक्त विज्ञापन में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसे सरकार की सलाह पर संशोधित करने की मांग की गई थी, हालांकि पहले का निर्णय इसी तर्ज पर लिया गया था, लेकिन बुद्धिमानी से वापस ले लिया गया था। किसी विशेष श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक तय करने के पीछे एक तर्क है। केवल किसी विशेष श्रेणी को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इसे कम करना, जब अन्य पहले ही कुछ अधिकार प्राप्त कर चुके हों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अपमान होगा।

27. हम तमिलनाडु संगणक विज्ञान बी. एड. ग्रेजुएट टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी (1) बनाम हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन, (2009) 14 एससीसी 517, में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं।

> *20. इस प्रकार यह स्थापित किया गया है कि राज्य सरकार ने संगणक प्रशिक्षकों के पद के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों को घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया है, जो*

कि दिनांक 10.10.2006 को आयोजित एक बैठक में लिए गए पहले के निर्णय के विपरीत है कि संगणक प्रशिक्षकों के पदों को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 50 प्रतिशत होंगे, अर्थात कुल 150 अंको में से 75 अंक। इस प्रकार यह स्थापित किया गया है कि सरकार ने चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती के नियमों और नियुक्ति के नियमों और शर्तों को बीच में ही बदल दिया। उक्त निर्णय रविवार यानी 12-10-2008 को उम्मीदवारों द्वारा अपनी परीक्षा देने के बाद लिया गया।

XXXXXXX

29. हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि ये अनुबंध कर्मचारी सरकारी स्कूलों में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने न्यूनतम योग्यता अंकों को कम करने का निर्णय लिया है ताकि यह देखा जा सके कि उनमें से कम से कम कुछ जो विशेष भर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें भर्ती और अवशोषित किया जा सके ताकि वे नियमित प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी में शामिल होने से वंचित न हों।

30. यह भी प्रस्तुत किया गया कि विशेष भर्ती परीक्षा देने वाले 1714 उम्मीदवारों में से केवल 894 उम्मीदवार 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सके, जबकि 906 उम्मीदवार 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त कर सके, जो सरकार द्वारा अपने पहले के नीतिगत निर्णय में निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक थे, लेकिन उन्होंने 35 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। नतीजतन, यह प्रस्तुत किया गया कि सरकार ने यह उचित समझा कि उक्त न्यूनतम योग्यता अंकों को घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए ताकि अधिक लोगों को शामिल किया जा सके, जो

अभी भी सरकारी स्कूलों में संगणक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं।

31. हमने अपने सामने रखे गए अभिलेखों के आलोक में पक्षों की ओर से प्रस्तुत होने वाले अधिवक्ताओं की उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। अभिलेखों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि एक बार का अवसर देने के लिए, चयन और भर्ती के साथ-साथ मौजूदा संगणक प्रशिक्षकों के अवशोषण के लिए एक विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया गया था। उक्त निर्णय सहानुभूतिपूर्ण विचार पर और उन मौजूदा कंप्यूटर प्रशिक्षकों के साथ न्याय करने के इरादे से लिया गया था जो बहुत लंबे समय से सरकारी स्कूलों में काम कर रहे थे।इस तरह के भर्ती अभियान और परीक्षा का आयोजन भर्ती के नियमों को निर्धारित करके किया गया था, जिससे सभी संबंधितों को समान अवसर मिले।

32. उक्त परीक्षा आयोजित करने से पहले एक नीतिगत निर्णय के माध्यम से दिशानिर्देश तैयार किए गए थे जिसमें यह मानदंड निर्धारित किया गया था कि उक्त परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक कम से कम 50 प्रतिशत होंगे। एक नीतिगत निर्णय के माध्यम से निर्धारित भर्ती के उक्त दिशानिर्देश पवित्र थे और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उनका पालन करने की आवश्यकता थी, भले ही हम स्वीकार करें कि सरकार उपरोक्त प्रकृति की विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित करके कंप्यूटर प्रशिक्षकों के उक्त पदों को एक बार के अपवाद के रूप में भर सकती थी।

33. हालाँकि, हम यह नहीं मान सकते कि सरकार के बाद के निर्णय से परीक्षा आयोजित होने के बाद न्यूनतम योग्यता अंकों को 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है और उस समय जब परीक्षा के परिणाम की घोषणा की जानी थी और इस तरह खेल के अंत में और

करीब में उक्त मानदंडों को बदलना उचित था, क्योंकि हम इसे मनमाना और अनुचित पाते हैं। इस न्यायालय ने हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [(2008) 7 एस. सी. सी.11 : (2008) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 203] में माना है कि भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया के दौरान या जब यह समाप्त हो जाता है तो खेल के नियमों को बदलने की अनुमति नहीं है।

28. उपरोक्त निर्णय निश्चित रूप से इस मुद्दे को नियंत्रित करेगा, इसलिए, उपरोक्त निर्णय को वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होने के रूप में रखने में खंड पीठ के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।वास्तव में, जिस मामले से हम निपट रहे हैं, वह उपरोक्त मामले को नियंत्रित करने वाले तथ्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जिसमें चयन प्रक्रिया तब पूरी नहीं हुई थी जब अंक कम करने का निर्णय लिया गया था। खंड पीठ ने प्रजापति ईश्वरभाई जोयताराम बनाम गुजरात राज्य, ***लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1350/2012,*** *दिनांक 20.03.2013 के मामले में समन्वय बेंच के पहले के निर्णयों का पालन नहीं किया, यह भी उचित नहीं है जो क्षैतिज आरक्षण को समायोजित करने के लिए कट-ऑफ अंकों में कमी के मुद्दे के साथ निपटता है ।*

29. के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2008) 3 एस. सी. सी. 512 में इस न्यायालय के निर्णय और तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय, (2013) 4 एससीसी 540 में संविधान पीठ के समक्ष लंबित संदर्भ के आधार पर बहुत तर्क दिए गए हैं। मामले के तथ्यों पर, हमें नहीं लगता कि उक्त मुद्दे का कोई असर है, जैसा कि इस न्यायालय ने रामजीत सिंह कर्दम बनाम संजीव कुमार, (2020) 20 एस. सी. सी. 209,में मानदंडों में मनमाने बदलाव के मामले से निपटने के दौरान विचार करते हुए कहा था।

"क्या अध्यक्ष "चयन मानदंड" या "चयन के तरीके" जैसे नीतिगत निर्णय लेने के लिए सक्षम थे?

51. ऊपर निकाली गई अधिसूचना के अनुसार यह आयोग है, जो "चयन का तरीका तैयार करेगा और चयन के लिए मानदंड तय करेगा"। उक्त शक्ति का उपयोग चयन के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। भले ही यह इस तर्क के लिए माना जाता है कि आयोग समय-समय पर चयन के मानदंडों को बदल सकता है, उक्त शक्ति का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

52. हम इस संदर्भ में टी. एन. संगणक विज्ञान बी. एड. में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। सरकार वेलफेयर सोसाइटी (1) बनाम हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन, (2009) 14 एससीसी 517 के उपरोक्त मामले में विभिन्न विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर कंप्यूटर प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षकों के चयन के लिए शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा एक विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। 10.10.2008 को राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि न्यूनतम योग्यता अंक 50 प्रतिशत होंगे। विशेष भर्ती परीक्षा की घोषणा 12-10-2008 के रूप में की गई थी। 12-10-2008 की रात को विशेष भर्ती परीक्षा के आधार पर कंप्यूटर प्रशिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की एक सूची इंटरनेट पर डाल दी गई थी। उम्मीदवारों के उक्त अंकों को प्रकाशित करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। राज्य सरकार ने न्यूनतम योग्यता अंकों को घटाकर 35

प्रतिशत कर दिया। इस न्यायालय ने योग्यता अंकों को 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने की मंजूरी नहीं दी। कंडिका 33 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: "33..... ....."

53. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चयन के दौरान चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने वाले इस न्यायालय के निर्णयों को तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया है, इसलिए चयन के दौरान मानदंड निर्धारित करने वाले इस न्यायालय के निर्णय को बदला नहीं जा सकता है। वर्तमान मामले के प्रयोजनों के लिए हम इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि भले ही समय-समय पर निकाय का चयन करके मानदंडों को बदला जा सकता है, लेकिन उक्त परिवर्तन को मनमाने ढंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां मानदंडों में परिवर्तन को प्रभावित किया गया है और चयन के मानकों को कम करने और उन्नत नहीं करने के उद्देश्य से मनमाने ढंग से बदला गया है। उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावित मानदंडों में परिवर्तन को बरकरार नहीं रखने में कोई त्रुटि नहीं की, जिसके निष्कर्ष से हम पूरी तरह सहमत हैं।

18. *इसके विपरीत*, प्रतिवादी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री निकेश कुमार ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि यह सच है कि खेल के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन फिर वर्तमान मामले में पात्रता मानदंड समान रहे हैं, आयु मानदंड वही रहे हैं और विज्ञापन सं.07/2022 दिनांक 28.07.2022 के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र भी नए चयन प्रक्रिया के लिए वैद्य मने गए है, लेकिन केवल चयन की विधि/प्रक्रिया के

संबंध में परिवर्तन किया गया है, जिसे निश्चित रूप से बीच में भी बदला जा सकता है, ऐसा करने के लिए महान उद्देश्य को देखते हुए यानी सर्वश्रेष्ठ और सबसे सक्षम उम्मीदवारों का चयन करने की दृष्टि से। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रतिवादी-आयोग ने उन उम्मीदवारों को पाया था जिन्होंने उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था। 28.07.2022 काफी खराब होने और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/डिग्री भी संदिग्ध होने के कारण, प्रतिवादी-राज्य ने प्रतिस्पर्धी परीक्षा की एक प्रणाली शुरू करना उचित समझा था ताकि उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का मूल्यांकन किया जा सके और सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का अंत में चयन किया जा सके और उन्हें ए.एन.एम के रूप में नियुक्त किया जा सके। इस संबंध में आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों का उल्लेख किया है, जिन्हें उनके प्रासंगिक कंडिका के साथ नीचे सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिन्हें पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

(i) ***हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चन्देर मारवाह और अन्य, (1974) 3 एस. सी. सी. 220;*** में प्रतिवेदित कंडिका सं. 3, 4, 8, 10 और 12 जिनको नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"3. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि राज्य के खिलाफ उपरोक्त निष्कर्ष गलत था। निवेदन यह था कि नियमों के तहत चयन के लिए उम्मीदवार की पात्रता के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत पर विचार किया जाना चाहिए और यह कि चयन द्वारा वास्तविक नियुक्ति करते समय राज्य सरकार को न्यायिक क्षमता के उच्च मानकों को बनाए रखने के हित में 55 प्रतिशत अंकों का न्यूनतम मानक तय करने से नहीं रोका गया था, विशेष रूप से, क्योंकि यह उच्च*

न्यायालय का विचार था जो उन्हें पहले भी सूचित किया गया था। हमारा मानना है कि यह तर्क सही है।

4. पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में अधीनस्थ न्यायाधीशों की भर्ती के उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा 1951 में विस्तृत नियम बनाए गए थे। पंजाब राज्य के विभाजन के बाद ये नियम हरियाणा राज्य पर लागू हुए और इन्हें हरियाणा सरकार द्वारा उचित संशोधनों के साथ प्रकाशित किया गया है। इन नियमों का भाग ए सामान्य योग्यताओं से संबंधित है। भाग बी उन लोगों की सूची तैयार करने और जमा करने से संबंधित है जो भाग ए के तहत योग्य हैं। जो लोग जिला न्यायाधीशों द्वारा तैयार की गई इन सूची पर हैं, वे पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हो जाते हैं। इस परीक्षा के संबंध में नियम भाग सी में हैं। इसके नियम 4 में प्रावधान है कि "परीक्षा पत्र निर्धारित किए जाएंगे और अंक परीक्षकों द्वारा दिए जाएंगे जिन्हें पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"नियम 8, जो महत्वपूर्ण है, इस प्रकार हैः

> *"किसी भी उम्मीदवार को तब तक योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह सभी पेपरों में कुल 45 प्रतिशत अंक और भाषा के पेपर, यानी हिंदी (देवनागरी लिपि में) में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता है।" जैसा कि हम तुरंत देखेंगे कि अंतिम चयन पूरी तरह से इस परीक्षा पर निर्भर करता है। इस परीक्षा के अलावा उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा के अलावा कोई अन्य बाधा नहीं है। कोई मौखिक साक्षात्कार निर्धारित नहीं है। नियम 10 इस प्रकार हैः*
>
> *(i) परीक्षा का परिणाम पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा;*
>
> *(ii) उम्मीदवारों का चयन उस क्रम में किया जाएगा जिसमें उन्हें पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा नियम 8 के तहत अर्हता प्राप्त करने वालों की सूची में रखा गया है।.*

8. इससे स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उच्च न्यायालय ने स्वयं पंजाब सरकार से पहले सिफारिश की थी कि केवल 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और हरियाणा सरकार सेवा में उच्च मानकों को बनाए रखने के हित में इस राय से सहमत थी। यह पूरी तरह से न्यायिक प्रशासन के हित में था।

10. हम यह देखने में विफल रहते हैं कि रिक्तियों का होना कैसे एक उम्मीदवार को कानूनी अधिकार देता है। परीक्षा का उद्देश्य यह दिखाना है कि कोई विशेष उम्मीदवार विचार के लिए पात्र है। नियुक्ति के लिए चयन बाद में होता है। इसके बाद यह तय करना सरकार के लिए खुला है कि कितनी नियुक्तियां की जाएंगी। केवल यह तथ्य कि सूची में किसी उम्मीदवार का नाम आता है, उसे नियुक्त करने का अधिकार नहीं देता है। वास्तव में, यदि राज्य सरकार नियुक्ति के लिए चयन करते समय सूची में दी गई श्रेणी से हट गई होती, तो इस आधार पर एक वैध शिकायत होती कि राज्य सरकार इस संबंध में नियमों से हट गई थी। भाग ग में नियम 10 का वास्तविक प्रभाव यह है कि यदि और जब राज्य सरकार अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां करने का प्रस्ताव करती है तो राज्य सरकार (i) सूची से बाहर यात्रा करके ऐसी नियुक्तियां नहीं करेगी, और (ii) नियुक्तियों के लिए चयन उसी क्रम में करेगी जिस क्रम में उम्मीदवारों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित सूची में रखा गया है। वर्तमान मामले में सरकार द्वारा इन दोनों आवश्यकताओं में से किसी का भी उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने सूची में पहले सात व्यक्तियों को अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्तियाँ करने की शक्ति पर इन बाधाओं के अलावा, नियम 10 कोई अन्य बाधा नहीं लगाता है। इस बात में कोई

बाधा नहीं है कि सरकार एक अधीनस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति या तो इसलिए करेगी क्योंकि रिक्तियां हैं या उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई है और अस्तित्व में है।

12. हालाँकि, प्रतिवादियों की ओर से डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि चूंकि भाग सी का नियम 8 प्रतियोगी परीक्षा में 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए पात्र बनाता है, इसलिए राज्य सरकार को एक नया नियम लागू करने का कोई अधिकार नहीं था जिसके द्वारा वे नियुक्तियों को केवल उन लोगों तक सीमित कर सकते हैं जिन्होंने 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य सरकार ने चयन के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत निर्धारित करने में मनमाने ढंग से काम किया है और यह ऊपर उल्लिखित नियम के विपरीत है। तर्क का कोई बल नहीं है। नियम 8 न्यूनतम योग्यता वाले योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का एक कदम है जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। सूची योग्यता के क्रम में तैयार की जाती है। जो उच्च पद पर होता है उसे निम्न पद पर रहने वाले की तुलना में अधिक मेधावी माना जाता है।यह कभी नहीं कहा जा सकता कि जो सूची में सबसे ऊपर है वह योग्यता में उस व्यक्ति के बराबर है जो सूची में सबसे नीचे है। सिवाय इसके कि उन सभी का एक सूची में उल्लेख किया गया है, उनमें से प्रत्येक दूसरे की तुलना में क्षमता के एक अलग स्तर पर खड़ा है। यही कारण है कि नियम 10 (ii), भाग सी "नियुक्ति के लिए चयन" की बात करता है। यद्यपि नियुक्तियों की संख्या के संबंध में राज्य सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी सरकार द्वारा चयन के उद्देश्य से उच्च अंक निर्धारित करने में कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे मामले में जहां कई योग्य उम्मीदवारों में से चयन करके

नियुक्तियां की जाती हैं, सरकार के लिए यह खुला है कि वह अधिक पात्रता के लिए आवश्यक अंक की तुलना में बहुत अधिक अंक निर्धारित करने के लिए क्षमता के उच्च मानकों को बनाए रखे। जैसा कि पहले से ही संदर्भित मुख्य सचिव के पत्र में दिखाया गया है, उन्होंने चयन के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत निर्धारित किया जैसा की उन्होंने पिछले अवसर पर किया था। चयन के उद्देश्य के लिए 55 प्रतिशत अंक निर्धारित करने में कुछ भी मनमाना नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय का भी यही विचार था जो पहले पंजाब सरकार को सूचित किया गया था, जिस पर हरियाणा सरकार ने कार्रवाई करना उचित समझा था। पंजाब सरकार द्वारा बाद में कम अंक तय करना हरियाणा सरकार के लिए अपना मन बदलने का कोई कारण नहीं है। यह अनिवार्य रूप से प्रशासनिक नीति का विषय है और यदि हरियाणा राज्य सरकार सोचती है कि न्यायिक क्षमता के हित में प्रतियोगी परीक्षा में 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का चयन नियुक्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो जिन लोगों ने 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उन उम्मीदवारों का भी चयन किया जाए जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम अंक प्राप्त किए हैं। हमारे विचार में उच्च न्यायालय यह सोचने में गलती कर रहा था कि राज्य सरकार ने किसी तरह भाग सी के नियम 8 का उल्लंघन किया था।

(ii) ***पिट्टा नवीन कुमार और अन्य बनाम राजा नरसैया जांगिती और अन्य, (2006) 10 एस. सी. सी. 261;*** में प्रतिवेदित मामले के कंडिका सं. 32 और 33 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"32. इस संबंध में प्राप्त कानूनी स्थिति विवाद में नहीं है। एक उम्मीदवार को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार

नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में उन्हें केवल इसके लिए विचार किए जाने का अधिकार है। एक व्यक्तिगत उम्मीदवार के मामले पर विचार, सामान्यतः विद्यमान नियमों के अनुसार अपेक्षित है, लेकिन ऐसे मामले में इसका कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा जहां नियम केवल संबंधित उम्मीदवारों के नुकसान के लिए काम करते हैं और अन्यथा नहीं। संशोधित अधिसूचनाओं के कारण, योग्यता में कोई बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया गया है। केवल विचार का क्षेत्र बढ़ाया गया है। जो लोग 2003 में आयु सीमा के कारण पात्र नहीं थे, वे पात्र बन गए यदि वे 1-7-1999 को निर्धारित आयु-सीमा के भीतर थे। इसके कारण केवल चयन के क्षेत्र का विस्तार किया गया था। हम संक्षेप में इसके उद्देश्य और प्रभाव पर विचार करेंगे।

33. शुरुआत में 301 रिक्तियां थीं। 223 रिक्तियों को बाद में जोड़ा गया। 1,52,000 आवेदन पहले विज्ञापन के अनुसार प्राप्त किए गए थे। आक्षेपित सरकारी आदेश निर्गत होने के बाद लगभग 51,768 आवेदन दायर किए गए थे। हालाँकि, बाद के सरकारी आदेश के कारण, जो लोग पहली प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे, उन्हें दूसरी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया गया था। इसका कारण खोजना दूर की बात नहीं है। पहली प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। पहली प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी प्रारंभिक परीक्षा दोनों के संबंध में एक संयुक्त परिणाम घोषित किया गया था। दोनों परीक्षाएँ एक ही भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होने के लिए आयोजित की गई थीं। यह हो सकता है कि इसके संबंध में अलग-अलग प्रश्न पत्र निर्धारित किए गए थे या अलग-अलग परीक्षकों ने उनकी जांच की थी, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उक्त परीक्षाएं केवल उम्मीदवारों को हटाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थीं।

उक्त परीक्षा का परिणाम अंतिम चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला नहीं था।

(iii) ***महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम राजेंद्र भीमराव मांडवे और अन्य, (2001) 10 एस. सी. सी. 51-*** में प्रतिवेदित, यद्यपि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि खेल के नियम, अर्थात्, चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बीच या बाद में संबंधित अधिकारियों द्वारा चयन के मानदंडों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर उक्त मामले का निपटारा हाथ में चयन के संदर्भ में विवादों को शांत करने और इक्विटी को समायोजित करने की दृष्टि से किया गया था, इस प्रकार उक्त आदेश एक पूर्ववर्ती के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(iv) ***हरदेव सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, (2011) 10 एस. सी. सी. 121*** में प्रतिवेदित; कंडिका सं. 19 और 20 जिनको यहाँ नीचे पुनः उद्धृत किया गया है:

"19. विद्वान अपर महासॉलिसिटर द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे की सामग्री और प्रतिवादियों की ओर से की गई प्रस्तुतियों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि लेफ्टिनेंट-जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी और अन्य अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए एसएसबी की पहली बैठक 9-1-2009 को बुलाई गई थी, न कि उससे पहले। हालाँकि, अधिवक्ता ने कहा था कि प्रतिवादियों के मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों ने 2008 में प्रासंगिक जानकारी एकत्र किया था क्योंकि सभी संबंधित अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए प्रासंगिक सामग्री को एस. एस. बी. के समक्ष रखा जाना था जब इसकी बैठक बुलाई जानी थी। उक्त कारण से, डेटा एकत्र करने और इसे उचित रूप में रखने के लिए आवश्यक अभ्यास 2008 में किया गया था, लेकिन

वास्तव में, उक्त डेटा पर एसएसबी द्वारा केवल तब विचार किया गया था जब उसने जनवरी 2009 में अपनी बैठक बुलाई थी, अर्थात नई नीति लागू होने के बाद।

20. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी और अन्य के मामलों पर 2008 में या 1-1-2009 से पहले कभी भी एसएसबी द्वारा विचार नहीं किया गया था।इसका मतलब है कि मामलों पर नई नीति के अनुसार विचार किया गया था और इसलिए, अपीलार्थी की ओर से की गई सभी दलीलें कि चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नीति में बदलाव किया गया था, सही नहीं हैं और इसलिए, उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(V) ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम करुणेश कुमार और अन्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1706*** में प्रतिवेदित, कंडिका सं. 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 27 और 31 से 33 जिनको नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"14. एक विशिष्ट गैर-अस्थाई खंड के अस्तित्व को देखते हुए, 2015 के नियम, बाद के होने के कारण, और एक सामान्य कानून होने के बावजूद, 1978 के नियमों पर प्राथमिकता लेंगे, जो विशेष सेवा नियम हैं। चूंकि नियमों के दो सेट पूरी तरह से असंगत हैं, इस तथ्य के आलोक में कि भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने वाला प्राधिकरण दोनों नियमों में अलग है, इसलिए भर्ती की प्रक्रिया भी, अलग है, इसलिए नियमों के दोनों सेटों के सामंजस्यपूर्ण पढ़ने की कोई संभावना नहीं है।

15. वर्ष 2016 में विशेष नियमों में किए गए संशोधन से स्थिति नहीं बदलेगी क्योंकि यह बहुत सावधानी के साथ किया गया था, क्योंकि यह स्पष्ट करने वाला था। निजी उत्तरदाताओं और पद के लिए अग्रणी आवेदकों के पास कोई अधिकार नहीं है, और प्रतीक्षा-सूची को भर्ती के बारहमासी

स्रोत के रूप में नहीं देखा जा सकता है। भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, वे खुद को स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा भी, 1999 के जी.ओ के आलोक में, प्रत्यर्थी या अभियोग आवेदक नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।

17. 1978 के नियम एक निर्दिष्ट पद से संबंधित हैं, और इसलिए, 2015 के नियमों को, बाद वाले होने के बावजूद, इसे स्वीकार करना होगा, पहला इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला विशेष कानून है। 1978 के नियमों के नियम 15 (4) में स्पष्ट रूप से प्रतीक्षा सूची का प्रावधान है। एक सामान्य नियम को एक विशेष नियम पर वरीयता नहीं होगी, एक गैर-अस्थाई खंड के बावजूद, जब तक कि दोनों के बीच एक स्पष्ट विसंगति न हो, इस मामले में नियमों के दो सेटों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझना होगा।

18. 1978 के नियमों ने 2016 के संशोधन तक मैदान को नियंत्रित किया, जो केवल विवादित चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार के बाद लागू हुआ, और इस तरह, खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता है। अन्यथा भी, एक विज्ञापित पद के खिलाफ नियुक्ति का एक निहित अधिकार है जो अधिक मेधावी उम्मीदवार के शामिल न होने के कारण अधूरा रह गया है।

20. हम पहले ही प्रासंगिक नियमों को रख चुके हैं और उनके महत्व पर विचार कर चुके हैं। 1978 के नियमों का खंड 15 (1) एक चयन समिति से संबंधित है, जबकि हम एक अधिनियम, 2014 अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से बनाए गए चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती से संबंधित हैं। 1978 के नियमों के तहत, केवल साक्षात्कार के बजाय किसी भी लिखित परीक्षा पर विचार नहीं किया गया था। लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार देकर चयन प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग लेने वाले उम्मीदवारों की जानकारी के लिए इसे जानबूझकर मंजूरी दी गई थी। इस प्रक्रिया को 2015 के

नियमों के अनुरूप और 2014 के अधिनियम के तहत आयोग को प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में अपनाया गया था। इसलिए, 1978 के नियमों को लिखित परीक्षा आयोजित करते समय भी एक चयन के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

24. हमने दिए गए तर्कों की विवेचना करने के लिए उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया है। 1978 के नियमों के तहत भी, हम किसी भी प्रतीक्षा सूची के अस्तित्व को बाद में भरे जाने के लिए नहीं पाते हैं, जब कोई निश्चित उम्मीदवार शामिल नहीं होता है। ऐसी सूची 1978 के नियमों के नियम 15 (4) के तहत केवल रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण की सुविधा के लिए प्रदान की गई है। इस प्रकार, रिक्तियों को भरने के बाद, अन्य उम्मीदवारों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं।

25. 2015 के नियमों के तहत भी यही स्थिति है जिसके तहत आयोग को अकेले योग्यता सूची को नियुक्ति प्राधिकरण को भेजने की आवश्यकता होती है जो उसने वास्तव में किया था और गैर-शामिल होने के मामले में, रिक्तियों को चयन की अगली प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में प्राधिकरण द्वारा सही तरीके से किया गया है। एक नियोक्ता के पास हमेशा एक कर्मचारी के चयन में लचीलेपन के तत्व के साथ पर्याप्त विवेकाधिकार होगा। हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब कोई चयन मनमाना या कानून के विपरीत हो, जो हम वर्तमान मामले में नहीं पाते हैं। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की तरह है जो एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली की तलाश करता है जब बिल्ली खुद वहां नहीं होती है।

27. केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने बाद में 2016 में 1978 के नियमों में संशोधन करने की मांग की थी, यह नहीं माना

जा सकता है कि विशेष रूप से नियम 15 के संबंध में 1978 के नियम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2016 का संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का था, क़ानून की पुस्तक में मौजूद हैं। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि दोनों नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बनाए गए थे।

31. हम उस स्थिति को दोहराना नहीं चाहते हैं जब दो नियमों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमें ऐसी कोई विरोधाभास नहीं मिलता है जो उत्पन्न हुई हो। विधि के न्यायालयों से नियमों में सामंजस्य स्थापित करने की उम्मीद की जाती है, और इसलिए, यदि कोई संघर्ष है तो उसका पूर्वानुमान या अनुमान नहीं लगाया जाता है।

32. प्रतिवादियों ने के. मंजुश्री (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है। हालाँकि, हमारे सुविचारित विचार में, उपरोक्त निर्णय के तथ्य वर्तमान मामले से काफी अलग हैं। पूर्ण न्यायालय द्वारा कट ऑफ के संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर, पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पहली बार एक परिवर्तन पेश किया गया था। दूसरा, ऐसा नहीं है कि निजी प्रतिवादियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। खेल के नियमों को बदलने वाले सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा जब परिवर्तन चयन प्रक्रिया के संबंध में हो, लेकिन योग्यता या पात्रता के संबंध में नहीं। दूसरे शब्दों में, विज्ञापन के बाद एक उम्मीदवार द्वारा आगे की प्रगति के साथ एक आवेदन के बाद, एक नियम नहीं लाया जा सकता है, जिससे वह चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाता है। केवल ऐसे मामलों में, उपरोक्त सिद्धांत का एक आवेदन होगा अन्यथा यह नौकरी के लिए उपयुक्त व्यक्ति की भर्ती करने के लिए नियोक्ता की शक्ति में बाधा डालेगा।

33. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अवलोकन पर, जैसा कि पहले पाया गया है, आक्षेपित निर्णय उचित प्रावधानों पर विचार किए बिना किए जाते हैं, इसके बावजूद कि उस पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सुविचारित विचार में उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका में उठाए गए आधारों पर ध्यान नहीं दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, समीक्षा के दायरे को अलग तरह से देखा जाना चाहिए, जिससे एक व्यापक दृष्टिकोण की सुविधा हो। हम पहले ही नियम 15 के दायरे और 2015 के नियमों में प्रतीक्षा सूची के लिए किसी भी प्रावधान की अनुपलब्धता पर चर्चा कर चुके हैं।

(vi) ***तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य, (2013) 4 एस. सी. सी. 540*** में प्रतिवेदित कंडिका सं.10, 11, 13, 14 और 15 जिनको नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"10. हमारे संविधान की योजना के तहत पूर्वव्यापी कानून बनाने के खिलाफ एक पूर्ण और गैर-परक्राम्य निषेध केवल अपराधों के निर्माण के संदर्भ में किया गया है। संप्रभु कानून बनाने वाले निकायों द्वारा किसी भी अन्य कानूनी अधिकार या दायित्व को पूर्वव्यापी रूप से बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि, इस तरह की कठोर शक्ति का प्रयोग इस तरह से किया जाना आवश्यक है कि यह किसी अन्य संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों, जैसे कि अनुच्छेद 14 और 16, आदि के साथ संघर्ष न करे। "खेल के नियमों" को या तो बीच में या खेल खेले जाने के बाद बदलना पूर्वव्यापी कानून बनाने की शक्ति का एक पहलू है।

11. वे विभिन्न मामले उन स्थितियों से संबंधित हैं जहां राज्य ने (1) रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों की पात्रता

मानदंड, या (2) उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन की विधि और तरीके में बदलाव करने की मांग की थी। उत्तरार्द्ध को चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है, जैसे कि उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा या वाइवा वॉस में प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित करना जैसा कि मंजुश्री या वर्तमान मामले में किया गया था या उम्मीदवारों को रोजगार की प्रकृति के लिए प्रासंगिक कुछ परीक्षण से गुजरने के लिए बुलाना (जैसे कि ड्राइविंग टेस्ट जो महाराष्ट्र एस. आर. टी. सी. में था)।

13. हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चन्देर मारवाह के मामले में इस न्यायालय को पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के अधीनस्थ न्यायाधीशों की भर्ती से निपटने के दौरान उस स्थिति से निपटना पड़ा जहां प्रासंगिक नियम न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करता है। यह भर्ती 15 रिक्तियों को भरने के लिए की गई थी। 40 उम्मीदवारों ने न्यूनतम योग्यता अंक (45 प्रतिशत) प्राप्त किए। केवल 7 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया जिन्होंने 55 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए और शेष रिक्तियों को खाली रखा गया।न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद शेष रिक्तियों को नहीं भरने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने पदों को नहीं भरने के अपने फैसले का इस आधार पर बचाव किया कि यह निर्णय न्यायिक सेवा में क्षमता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए लिया गया था। उच्च न्यायालय ने चुनौती को बरकरार रखा और एक आदेश जारी किया। अपील में, इस न्यायालय ने उलट दिया और राय दी कि राज्य की सेवा में भर्ती के उद्देश्य से आयोजित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गयाः (सुभाष चन्देर मारवाह मामला

[(1974) 3 एस. सी. सी. 220:1973 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 488], एस. सी. सी. पी.227, कंडिका 12)

"12. ... ऐसे मामले में जहां नियुक्तियां कई योग्य उम्मीदवारों में से चयन द्वारा की जाती हैं, सरकार के लिए एक ऐसा अंक निर्धारित करने के लिए क्षमता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए खुला है जो अधिक (केवल) पात्रता के लिए आवश्यक अंक से बहुत अधिक है।"

14. दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि सुभाष चंदर मारवाह में लिए गए निर्णय को मंजुश्री मामले में न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। मंजुश्री के मामले में इस न्यायालय ने पी. के. रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ, उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य के निर्णयों पर भरोसा किया। इनमे से किसी भी मामले में सुभाष चन्देर मारवाह के निर्णय पर विचार नहीं किया गया था।

15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य या उसके उपकरणों को "खेल के नियमों" के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देना एक हितकारी सिद्धांत है, जहां तक पात्रता मानदंडों के निर्धारण का संबंध है, जैसा कि सी. चन्नबसवैह बनाम मैसूर राज्य [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1293], आदि में किया गया था ताकि भर्ती प्रक्रिया और उसके परिणामों में हेरफेर से बचा जा सके। क्या इस तरह के सिद्धांत को "खेल के नियमों" के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए, जो चयन के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करता है, विशेष रूप से जब परिवर्तन की मांग की जाती है तो चयन के लिए अधिक कठोर जांच लागू करने के लिए इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के आधिकारिक निर्णय की आवश्यकता होती है। इसलिए हम आदेश देते हैं कि इस संबंध में उचित आदेश के

लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

19. प्रतिवादी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ***तेज प्रकाश पाठक और अन्य*** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए उपरोक्त निर्णय का उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि खेल के बीच में या खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को बदलने वाली अभिव्यक्ति दो स्थितियों से संबंधित है; (i) रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों की पात्रता मानदंड; या (ii) उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन की विधि और प्रक्रिया। यह तर्क दिया जाता है कि जहां तक दूसरी स्थिति का संबंध है, ***तेज प्रकाश पाठक और अन्य*** (उपरोक्त) के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को संदर्भित किया है कि क्या राज्य या उसके उपकरणों को "खेल के नियमों" के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देने का सिद्धांत, जहां तक पात्रता मानदंडों के निर्धारण का संबंध है, चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले "खेल के नियमों" के संदर्भ में भी एक बड़ी पीठ को लागू होगा, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सुभाष चन्देर मारवाह*** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय में ना तो ***के. मंजुश्री*** मामले में या उन मामलों में जिनके बारे में विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लेख किया गया है और जिन पर भरोसा किया गया है, न्यायधीशों के ध्यान में नहीं लाया गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह कहा जाता है कि उपरोक्त संदर्भ अभी भी निर्णय के लिए लंबित है।

इस मोड़ पर, प्रतिवादी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त प्रस्तुतिकरण से निपटना उचित होगा। जहाँ तक ***सुभाष चन्देर मारवाह और अन्य,*** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय की बात है, यह

संबंधित, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न है क्योंकि पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) सेवा नियम, 1951 का नियम 8, जो यह निर्धारित करता है कि एक उम्मीदवार को पात्र होने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए, केवल न्यूनतम योग्यता वाले योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के उद्देश्य से है, जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, वह यह है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पंजाब सरकार को सूचित किया था, जिस पर हरियाणा सरकार ने कार्रवाई करने के लिए उचित समझा था। कि केवल 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और इसके अलावा, उच्च स्तर की क्षमता बनाए रखने की दृष्टि से, सरकार के लिए एक ऐसा अंक निर्धारित करने का अधिकार था जो केवल पात्रता के लिए आवश्यक अंक से बहुत अधिक हो, जबकि वर्तमान मामले में चयन की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि ***बी. एन. नागराजन बनाम मैसूर राज्य*** के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले, जिसे एआईआर 1966 एससी 1942: 1966 एससीसी ऑनलाइन एससी 7 में रिपोर्ट किया गया था, को ***तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य*** मामले में उनके प्रभुत्व के संज्ञान में नहीं लाया गया था, इस तथ्य के अलावा कि ***तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य*** (उपरोक्त) के मामले में पारित उपरोक्त आदेश वर्तमान मामले में शामिल विवादों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए निर्णायक नहीं है।

20. प्रतिवादियों-बिहार राज्य और स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता श्री निकेश कुमार द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार किया है।

21. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।इस न्यायालय ने पाया कि रिट याचिकाओं के उपरोक्त बैच में विचाराधीन एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या चयन की प्रक्रिया या भर्ती की प्रक्रिया, जैसा कि दिनांक 28.07.2022 के उपरोक्त विज्ञापन संख्या 07/2022 में कैडर नियम, 2018 के अनुरूप अनिवार्य है, को उम्मीदवारों द्वारा आवेदन दाखिल करने और एएनएम के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता-सूची के प्रकाशन के प्रयोजनों के लिए उनके अंकों का मूल्यांकन करने के पश्चात् बीच में परिवर्तित जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करके, जिसे दिनांक 28.07.2022 के उपरोक्त विज्ञापन संख्या 07/2022 में कभी निर्धारित नहीं किया गया था।

22. यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त विज्ञापन संख्या 07/2022 संवर्ग नियम, 2018 के अनुरूप 28.07.2022 को निर्गत किया गया था और चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की परिकल्पना नहीं की गई थी, फिर भी, रिट याचिकाकर्ताओं सहित उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्र भरने के बाद और प्रतिवादी-आयोग द्वारा दिनांक 28.07.2022 के उपरोक्त विज्ञापन संख्या 07/2022 के खंड-4 के अनुसार उनके अंकों का मूल्यांकन करने के बाद, जिसके परिणामस्वरूप एएनएम पद पर नियुक्ति करने के लिए योग्यता-सूची तैयार करने के प्रयोजनों से उनके अंकों को प्रतिवादी-आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये गए, राज्य सरकार ने उपरोक्त संवर्ग नियम 2018 में संशोधन किया और 01.06.2023 से प्रभावी होने के लिए नए संवर्ग नियम,

2023 में लाए गए, जिसके तहत चयन प्रक्रिया को बदल दिया गया है और इसके खंड-8 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके बाद, कुल 100 अंकों के लिए एक उम्मीदवार के मूल्यांकन के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से 60 अंक उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धी परीक्षा में प्राप्त अंकों, उच्च पाठ्यक्रम के लिए 15 अंक और बिहार राज्य के सरकारी/गैर-निजी अस्पतालों में काम करने के अनुभव के लिए 25 अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। उत्तरदाता पर-आयोग ने भर्ती की प्रक्रिया को बदलने और योग्य उम्मीदवारों से नए आवेदन आमंत्रित करके विचार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दिनांक 19.09.2023 का एक नोटिस प्रकाशित किया। इस न्यायालय को यह भी सूचित किया गया है कि उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा भी आयोजित की गई है।

23. इस न्यायालय ने पाया कि विचाराधीन मुद्दे के संबंध में कानून अब पुनः एकीकृत नहीं है - ***बी. एन. नागराजन बनाम मैसूर राज्य,*** ए.आई.आर. 1966 एस. सी. 1942:1966 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 7, में प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की वैधता से संबंधित विवाद से निपट रही थी। लोक सेवा आयोग ने अक्टूबर 1958, मई 1959 और अप्रैल 1960 में सहायक अभियंताओं के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए थे। लोक सेवा आयोग ने चयन किया, उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और अक्टूबर/नवंबर 1960 के महीने में सरकार को चयन सूची भेजी, हालांकि नियुक्तियां होने से पहले, मैसूर लोक निर्माण, इंजीनियरिंग विभाग सेवा (भर्ती) नियम, 1960 लागू हो गया, जिसने पिछली अधिसूचनाओं में निर्धारित चयन प्रक्रिया से अलग चयन प्रक्रिया निर्धारित की, जिसके अनुसरण में लोक सेवा

आयोग ने चयन किया था। आयोग द्वारा किए गए चयन के आधार पर सरकार द्वारा की गई नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसके अनुसरण में किए गए चयन और नियुक्तियों को निरस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई, जहां नियुक्तियों की वैधता इस आधार पर निर्धारित की गई थी कि चूंकि नियुक्तियां नियमों के संशोधन के बाद की गई थीं, इसलिए नियुक्तियां संशोधित नियमों के अनुसार की जानी चाहिए थीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने उक्त तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि विज्ञापन निर्गत करने, साक्षात्कार आयोजित करने और नामों की अनुशंषा करने की पूरी प्रक्रिया तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार की गई थी, इसलिए लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की गई नियुक्तियों को अमान्य नहीं किया जा सकता है। ***बी. एन. नागराजन*** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए उपरोक्त निर्णय के कंडिका संख्या 20 को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो नीचे दिया गया हैः

> *"20. श्री नांबियार ने एक अन्य आधार पर नियुक्तियों पर महाभियोग चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों ने मैसूर लोक निर्माण अभियांत्रिकी विभाग सेवा (भर्ती) नियम, 1960, दिनांक 3 दिसंबर, 1960 का उल्लंघन किया है, क्योंकि नियुक्तियां 31 अक्टूबर, 1961 को की गई थीं, और उनके अनुसार, ये नियुक्तियां भी 3 दिसंबर, 1960 को बनाए गए वैधानिक नियमों के तहत की जानी थीं। हम इस विवाद को बनाए रखने में असमर्थ हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग को अधिसूचना प्रकाशित करने, उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने और नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा करने में लगभग दो साल लग गए। पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अक्टूबर 1960 में उम्मीदवारों के साक्षात्कार*

के बाद नवंबर 1960 में की गई लोक सेवा आयोग की अनुशंसाओं के अनुसरण में की गई नियुक्तियों को शामिल करने के लिए नियम तैयार करते समय सरकार का इरादा यह नहीं हो सकता था।"

24. इस मोड़ पर, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। ***तमिलनाडु संगणक विज्ञान बी. ई. डी. ग्रेजुएट टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी (1) बनाम उच्च माध्यमिक विद्यालय संगणक शिक्षक संघ और अन्य, (2009) 14 एस. सी. सी. 517,*** में प्रतिवेदित कंडिका सं. 32 से 34 जिनको यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"32. उक्त परीक्षा आयोजित करने से पहले एक नीतिगत निर्णय के माध्यम से दिशानिर्देश तैयार किए गए थे जिसमें यह मानदंड निर्धारित किया गया था कि उक्त परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक कम से कम 50 प्रतिशत होंगे। एक नीतिगत निर्णय के माध्यम से निर्धारित भर्ती के उक्त दिशानिर्देश पवित्र थे और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उनका पालन करने की आवश्यकता थी, भले ही हम स्वीकार करें कि सरकार उपरोक्त प्रकृति की विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित करके कंप्यूटर प्रशिक्षकों के उक्त पदों को एक बार के अपवाद के रूप में भर सकती थी।

33. हालाँकि, हम यह नहीं मान सकते कि सरकार के बाद के निर्णय से परीक्षा आयोजित होने के बाद न्यूनतम योग्यता अंकों को 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है और इस तरह खेल के अंत में उक्त मानदंडों को बदलना उचित है, क्योंकि हम इसे मनमाना और अन्यायपूर्ण पाते हैं। हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [(2008) 7 एस. सी. सी. 11] के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया के

दौरान या उसके समाप्त होने के बाद खेल के नियमों को बदलना स्वीकार्य नही है।

34. इस प्रकार हम यह मानते हैं और घोषणा करते हैं कि जिन उम्मीदवारों ने 50 प्रतिशत से अधिक योग्यता अंक प्राप्त किए थे, वे उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और शेष उम्मीदवारों को असफल/असफल माना जाएगा और इसलिए वे स्थायी रूप से भर्ती होने और सरकारी स्कूलों में शामिल होने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हालाँकि, हम राज्य सरकार को कंप्यूटर प्रशिक्षकों के सभी शेष पदों को भरने के लिए एक नई परीक्षा/भर्ती परीक्षा आयोजित करने की स्वतंत्रता देते हैं, जबकि कंप्यूटर प्रशिक्षकों के स्वीकृत और खाली पदों की तुलना में, जो हमें बताया गया है कि 1000 से अधिक होंगे, उच्च न्यायालय को दिए गए आश्वासन के संदर्भ में एक भर्ती परीक्षा आयोजित करके।

25. अंत में, यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***हैमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय*** ने ***(2008) 7 एस. सी. सी. 11*** में प्रतिवेदित मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा करेगा। जिसका संदर्भ ***तमिलनाडु संगणक विज्ञान बीएड, स्नातक शिक्षक कल्याण समाज (1)*** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय में इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

26. ***बी. एन. नागराजन*** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून पर व्यापक विचार करने के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ***वाई. वी. रंगैया और अन्य*** (उपरोक्त), ***एन. टी. देवीन कट्टी और अन्य*** (उपरोक्त), ***पी. महेंद्रन और अन्य*** (उपरोक्त), ***हेमानी मल्होत्रा*** (उपरोक्त), ***के. मंजुश्री*** (उपरोक्त), ***तमिलनाडु कंप्यूटर***

साइंस बीईडी ग्रेजुएट टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी (1) (उपरोक्त), ***मो. रइसुल इस्लाम और अन्य*** (उपरोक्त) और ***सुरेश कुमार ललितकुमार पटेल और अन्य (उपरोक्त)***, के मामले में इस न्यायालय ने पाया कि अब यह एक सुस्थापित कानून है कि एक उम्मीदवार को विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार विचार किए जाने का अधिकार है, क्योंकि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख को उसका अधिकार स्पष्ट हो जाता है, एक उम्मीदवार चयन के लिए विचार किए जाने का एक निहित अधिकार प्राप्त करता है जो नियमों के अनुसार है जैसा कि वे विज्ञापन की तारीख को मौजूद थे और उसे चयन के लंबित रहने के दौरान नियमों के संशोधन के आधार पर उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जब तक कि संशोधित नियम प्रकृति में पूर्वव्यापी न हों और इसके अलावा, चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के नियमों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है या जब यह समाप्त हो जाता है, या तो यह पात्रता मानदंड या भर्ती/चयन की प्रक्रिया के संबंध में हो सकता है, इसलिए यह न्यायालय मानता है कि भर्ती/चयन की प्रक्रिया को बदलने के लिए दिनांक 19.09.2023 की अधिसूचना मनमाना और अनुचित है, इस प्रकार दिनांक 19.09.2023 की अधिसूचना ने भर्ती की प्रक्रिया को उस हद तक बदल दिया है जैसा कि दिनांक 28.07.2022 के विज्ञापन संख्या 07/2022 में प्रदान किया गया है, निरस्त किया जाता है और प्रतिवादी-आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह 2022 के उक्त विज्ञापन संख्या 07 के खंड-4 में दी गई भर्ती प्रक्रिया के अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं सहित उम्मीदवारों के अंकों को सारणीबद्ध करके योग्यता सूची प्रकाशित करे। इस मोड़ पर, मैं त्वरित रूप से यह जोड़ना चाहूंगा कि इस न्यायालय ने जानबूझकर दिनांक 19.09.2023 के उपरोक्त नोटिस के खंड डी के साथ छेड़छाड़ करने से परहेज किया है, जिसके

तहत केवल विचार के क्षेत्र/क्षेत्र को बढ़ाया गया है जो कि ***पिट्टा नवीन कुमार और अन्य*** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए वृद्धि की गई।

27. यह प्रतिवादी-आयोग के लिए अनुचित होगा यदि उसकी ओर से दिए गए निर्णयों को स्वीकार नहीं किया जाता है। ***पिट्टा नवीन कुमार और अन्य*** (उपरोक्त) के मामले में प्रत्यर्थी-आयोग के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णय इस मुद्दे पर एक प्राधिकरण प्रतीत नहीं होता है कि क्या चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले खेल के नियमों को बीच में बदला जा सकता है और अन्यथा भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अलग किया जा सकता है क्योंकि उक्त मामले में केवल विचार का क्षेत्र बढ़ाया गया था क्योंकि जो लोग वर्ष 2003 में आयु सीमा के कारण पात्र नहीं थे वे पात्र हो गए थे यदि वे निर्धारित आयु सीमा के भीतर थे। वह भी इस कारण से कि कई वर्षों से आगे कोई भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले उम्मीदवारों का अधिकार था, जिन्होंने आयु में छूट का लाभ उठाये बिना पहली प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण की थी, प्रभावित नहीं हुआ था, फिर भी, भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया था, इस प्रकार उक्त निर्णय प्रतिवादियों के लिए कोई मदद नहीं करता है।

28. जहाँ तक ***राजेंद्र भीमराव मांडवे और अन्य*** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संबंध है, तो उक्त मामले को न्याय के समायोजन के लिए उपयुक्त मामला मानते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि जो चालक पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, वे कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं और चूंकि उक्त मामले के याचिकाकर्ताओं की संख्या केवल 10 थी, इसलिए नियुक्ति के लिए उनके दावों पर अनुकूल विचार करने का निर्देश

दिया गया था। इस प्रकार उक्त निर्णय को एक बाध्यकारी उदाहरण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि स्पष्ट रूप से यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

29. प्रतिवादी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट,माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***हरदेव सिंह*** (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय भी अलग है। क्योंकि उक्त मामला पदोन्नति से संबंधित है जबकि वर्तमान मामला चयन से संबंधित है।

30. मामले में प्रतिवादी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***करुणेश कुमार और अन्य*** (उपरोक्त), के मामले में दिए गए निर्णय के संबंध में यह कहना पर्याप्त होगा कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी यही अंतर है क्योंकि उक्त मामले में विज्ञापन उत्तर प्रदेश समूह 'सी' पदों पर सीधी भर्ती (विधि और प्रक्रिया) नियम, 2015 के अनुसार प्रकाशित किया गया था, चयन प्रक्रिया उक्त नियम, 2015 के अनुसार पूरी की गई थी और बहुत सावधानी के साथ, हालांकि आवश्यक नहीं था, 1978 के नियमों को 22.11.2016 पर संशोधित किया गया था, हालांकि, अंतिम परिणाम 24.12.2016 को घोषित किया गया था और नियुक्ति पत्र अप्रैल और मई, 2017 के महीनों के दौरान निर्गत किए गए थे, फिर भी, खेल के नियम उक्त मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया था। जहाँ तक कंडिका सं. 32 का संबंध है, यह केवल एक ***"आज्ञाकारी आदेश"*** हो सकता है। और वास्तव में ***सुरेश कुमार ललितकुमार पटेल और अन्य*** (उपरोक्त) मामले में विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है,इस तथ्य के अलावा कि ***बी. एन. नागराजन*** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ और

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ***पी. महेंद्रन और अन्य*** (उपरोक्त), ***के. मंजुश्री*** (उपरोक्त) और ***तमिलनाडु कंप्यूटर विज्ञान बी. ई. डी. स्नातक शिक्षक कल्याण समाज (1)*** (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून इस क्षेत्र को धारण करता है।

31. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा पूर्वोक्त कारणों से, रिट याचिकाएं उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती हैं।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस. एसबी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।